JALAUN POLICE

दिनांक- 04.07.2026

क्राइम ब्रान्च जालौन टीम द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वर्ष 2020 से फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

अवगत कराना है कि दिनांक 16.08.2020 को कोतवाली कोंच में वादी श्री शैलेन्द्र कुमार गौतम द्वारा तहरीरी सूचना दी गई है कि अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा पेट्रोल पम्प का लाइसेन्स दिलवाने के नाम पर वादी से 39,68,685/- रूपये ट्रान्सफर करा लेना तथा फर्जी लाइसेन्स बनाकर वादी के व्हाट्सएप नं0 पर भेज देना, जिसके संबन्ध में कोतवाली कोंच में मु0अ0सं0 63/ 2020 धारा 419, 420, 465, 467, 468, 471, 120 बी भादवि व धारा 66 सी, 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान 12 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये थे जिसमें से 07 अभियुक्तगण को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के पर्यवेक्षण तथा अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के नेतृत्व में दिनांक 04.07.2026 को क्राइम ब्रान्च जालौन टीम द्वारा सटीक सूचना पर अभियुक्त संजय रविदास पुत्र सीताराम रविदास निवासी ग्राम महमदपुर थाना औगारी जनपद नालंदा बिहार को उरई रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया।

धोखाधड़ी की कुल धनराशि से 2,98,500/- रूपये अभियुक्त संजय उपरोक्त के खाते में ट्रान्सफर की गयी थी।

अभियुक्त का विवरण-

1. संजय रविदास पुत्र सीताराम रविदास उम्र करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम महमदपुर थाना औगारी जनपद नालंदा बिहार।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. निरीक्षक राकेश कुमार पाण्डेय क्राइम ब्रान्च जालौन मय टीम।